

कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

राजकीय संग्रहालय, डैम्पीयर नगर, मथुरा।

Tender Reference No. : NIT- 07/MVDA/2026-27 Date:- 30.04.2026

ई-निविदा सूचना

म.वृ.वि.प्रा. द्वारा Tender Reference No. NIT 07/MVDA/2026-27 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मो/अनुभवी फर्मो से टू-बिड/सिंगल बिड पद्धति पर ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू धनांक (रु. लाख में)	धरोहर राशि (रु. लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु. G.S.T. सहित)	कार्य अवधि (माह में)	प्राधिकरण में पंजीकृत श्रेणी	ई-निविदा अपलोड/डाउनलोड की अन्तिम तिथि व समय	ई-निविदा खोले जाने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोविन्द विहार आवासीय योजना में एल0ई0डी0 लाईट द्वारा प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	154.72	3.09	5900.00	03	विद्युत-ए	दिनांक 15.05.2026 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 16.05.2026 को दोपहर 2:00 बजे
2	जनपद मथुरा में स्थित गोवर्धन में पर्यटन सुविधा केन्द्र (डॉरमेट्री, पार्किंग, कैफेटेरिया, टॉयलेट ब्लॉक, इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एवं गेस्ट हाउस आदि) का निर्माण कार्य।	1317.11	26.34	5900.00	17	सिविल सुपर-ए अथवा अनुभवी फर्म	दिनांक 29.05.2026 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 30.05.2026 को दोपहर 2:00 बजे

शर्त :-

1- संशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2-निविदा मूल्य (नॉन रिफन्डेबिल) व वांछित जमानत (धरोहर) धनराशि बैंक ऑफ बड़ौदा, मथुरा (IFSC: BARBOVJMATH) के खाता संख्या-77450100023162 में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुए प्राप्त यू.टी.आर. स्लिप (पृथक-पृथक) की स्कैन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3-प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आमन्त्रित कार्यो की निविदा में यदि पूर्व में किसी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रतिभाग किया गया है तथा अभी तक उसकी धरोहर धनराशि प्राधिकरण खाते में जमा है, तो ऐसी स्थिति में यदि फर्म/ठेकेदार उसी सम्बन्धित कार्य की निविदा में प्रतिभाग करना चाहता है, तो जमा धरोहर धनराशि की पूर्व यू.टी.आर. स्लिप संलग्न कर प्रतिभाग कर सकता है। फर्म/ठेकेदार को निविदा प्रपत्र मूल्य पुनः जमा कराना अनिवार्य है।

4- उपरोक्त समस्त कार्यो की निविदाओं हेतु वांछित धरोहर धनराशि सम्बन्धित कार्य के लिए ही मान्य होगी, अन्य किसी कार्य के लिए उक्त धरोहर राशि पर विचार नहीं किया जायेगा।

5-निविदा प्रपत्र व शर्त ई-पोर्टल बेवसाईट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं तथा निविदा को अपलोड/डाउनलोड कर सकते हैं। निविदाओं में किसी प्रकार की संशोधन की सूचना <https://etender.up.nic.in> पर ही अपलोड/ प्रदर्शित की जायेगी। इच्छुक निविदादाता नियमित रूप से उक्त बेवसाईट को समय-समय पर देखते रहें।


6-सिविल/विद्युत के कार्यो हेतु केवल एक श्रेणी उच्च में पंजीकृत फर्मो द्वारा भी प्रतिभाग मान्य होगा (कॉलम-7 में वर्णित श्रेणी से एक श्रेणी उच्च के पंजीकृत ठेकेदार भी प्रतिभाग कर सकेंगे।)

7-रु. 40.00 लाख तक की लागत की निविदायें एकल बिड तथा इससे ऊपर की निविदायें टू-बिड (तकनीकी एवं वित्तीय) पद्धति पर आमंत्रित होगी। परन्तु एकल बिड में पंजीकरण, ई.एम.डी. एवं टेण्डर फीस के परीक्षण उपरान्त ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

- 8-दरों में सामान्यतः जी.एस.टी. अथवा कोई कर सम्मिलित नहीं है। निविदादाताओं को अपनी दरें बिना जी.एस.टी. के अंकित करनी होंगी। कार्य के मदों के सापेक्ष प्रभावी नियमानुसार जी.एस.टी. प्राधिकरण द्वारा अलग से देय होगा, जिन निविदाओं की दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित किया गया है उनके बी0ओ0क्यू0 में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है।
- 9-टैक्नीकल बिड के आधार पर केवल चयनित निविदादाताओं की फाइनेशियल बिड खोलने की सूचना वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध होगी।
- 10-निविदा प्रपत्र एवं संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों को निविदादाता द्वारा स्वहस्ताक्षरित, पेज नम्बरिंग एवं मोहरयुक्त व इण्डेक्सिंग किया जाना अनिवार्य है। म.वृ.वि.प्रा. में फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष की वैधता तिथि स्पष्ट उल्लेख हो, अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- 11-मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- 12-ऐसी फर्म जिनका वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु रिनुअल नहीं हुआ है, निविदा में प्रतिभाग कर सकेगी परन्तु सम्बन्धित कार्य हेतु कार्यदेश रिनुअल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त जारी किया जायेगा।
- 13-निविदादाता की निविदा में अंकित केवल समान प्रकृति के पूर्ण किये गये कार्यों का अनुभव ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण टैक्नीकल बिड में अंकित किया गया है।
- 14-सड़कों के समस्त कार्यों हेतु "Defect removal/liability Period" कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम भुगतान की तिथि से तीन वर्ष अवधि होगी। उक्त अवधि में खराब/क्षतिग्रस्त कार्य को ठीक करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।
- 15-अन्य समस्त कार्यों हेतु "Defect removal/liability Period" कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम भुगतान की तिथि से दो वर्ष अवधि होगी। उक्त अवधि में खराब/क्षतिग्रस्त कार्य को ठीक करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।
- 16-निविदादाता स्वयं प्रस्तावित निर्माण स्थल देखकर ही निविदा में प्रतिभाग करें एवं निविदा में दी गयी दरें निविदा की तिथि से तीन माह तक वैध रहेगी।
- 17-यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होता है, तो उसके अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी।
- 18-प्रतिभाग करने वाले ठेकेदारों को जी.एस.टी. (GSTN) नम्बर देना अनिवार्य होगा।
- 19-केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर लगाये गये करों की कटौती नियमानुसार निविदादाताओं के चलित देयक से की जायेगी।
- 20-यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी.ओ.क्यू.) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (BELOW) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी नहीं ली जायेगी।
- 21-यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी.ओ.क्यू.) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (BELOW) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (BELOW) के सापेक्ष 01 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (BELOW) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी ली जायेगी, जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा।
- 22- यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी.ओ.क्यू.) लागत से 15 प्रतिशत तक निम्न होने पर 10 से अधिक, 5 प्रतिशत हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी तथा 15 प्रतिशत के पश्चात निम्न पर प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी जमा करायी जायेगी।
- 23-समस्त कार्यों में अनुबन्ध के समय अनुबन्धित धनांक रू0 40.00 लाख तक 10 प्रतिशत तथा रू0 40.00 लाख से अधिक की धनराशि पर 05 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बन्धक एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें निविदा के समय जमा धरोहर धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा।
- 24-निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1998 के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व श्रम विभाग में लेबर सहित पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
- 25- मिट्टी के कार्य हेतु यदि रॉयल्टी की देयता बनती है तो उसे ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- 24-मिट्टी के अतिरिक्त अन्य प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की रॉयल्टी भुगतान के सम्बन्ध में फार्म-सी अथवा एम.एम. -11/मूल ट्रांसजिट पास प्रस्तुत करना होगा।
- 26-कार्य की गुणवत्ता (Quality/Assurance) की जाँच यथाआवश्यकता थर्ड पार्टी से करायी जायेगी, जिस पर आने वाले व्यय का भार निविदादाता द्वारा ही स्वयं वहन किया जायेगा।
- 27-प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

28-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं उ0प्र0 शासन से वित्तपोषित कार्यों हेतु आमन्त्रित निविदा में अतिरिक्त मदों की दरों पर भी 5 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

29-कॉलम संख्या 07 में अंकित अनुभवी फर्म का तात्पर्य ऐसी फर्मों से होगा, जिन्हें विषयगत कार्य में विशिष्ट अनुभव प्राप्त है तथा ऐसी फर्मों का प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं होगा किन्तु उन्हें नियमानुसार सफल निविदादाता होने पर प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा।



30/04/26
अधिशाली अभियन्ता

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर चरपा कराने का कष्ट करें।

1. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मथुरा।
3. अधिशाली अभियन्ता, पी0डब्ल्यू0डी0 प्रान्तीय खण्ड, मथुरा।
4. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, मथुरा।
5. श्रीमती वैशाली शर्मा, सहायक अभियन्ता को इस आशय के साथ प्रेषित कि समय से आर.एफ.पी. एवं बी.ओ.क्यू. Website <https://etender.up.nic.in> पर तथा उक्त सूचना प्राधिकरण की Website <https://mvdamathura.com> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

1
अधिशाली अभियन्ता